22.12.17

प्रकरण में बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण अस्सालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः दावावादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)